

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर


क्रमांक.प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2013/ 43461-43486 दिनांक 19/08/2020

मुख्य नगर पालिक अधिकारी,
नगर नियम/परिषद/पालिकाए,
समस्त राजस्थान।

विषय: पशुवध गृह/मांसा माछली की दुकानें बन्द रखने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित तिथियों को राज्य के सभी वूचडखाने एवं मांसा-माछली की दूकानें बन्द रखी जावें।

पर्व	दिनांक	वार
पर्युषण पर्व एवं संवत्सरी	22.08.2020 व 23.08.2020	(शनिवार व रविवार)
अनंत चतुर्दशी	01.09.2020	(मंगलवार)


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक:- 19/08/2020

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/19/ 43481-43484

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
5. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. जनसंपर्क अधिकारी निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
7. प्रभारी, मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी